



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15396

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका संख्या - सी - 568 वर्ष 2026

हरीश चंद्र

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: बबीता शुक्ला, राम प्रकाश शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी पक्ष को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी पक्ष इस आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में पुनरीक्षण/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील ज्ञानपुर, जिला भदोही को दिनांक 18.07.2025 के आवेदन पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों पर समयबद्ध अवधि के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। धारा 24 की उपधारा (3) इस प्रकार है:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(7). इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, उप-विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर समाप्त की जाएगी।

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि बीत चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए यह रिट याचिका दायर की गई है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील ज्ञानपुर, जिला भदोही का निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले का निर्णय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेय)

21 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"